न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त, जोधपुर
पीठासीन अधिकारी–अजीत सिंह राजावत, आर.ए.एस

राजस्व अपील संख्या 48/2023

अपीलाण्ट — बनाम — रेस्पोडेन्ट्स

1. मूलाराम पुत्र उदाराम
2. तेजाराम पुत्र मालाराम उर्फ मंगलाराम
   (जाति जाट, निवासी ग्राम पल्ली, तह0 लोहावट जिला जोधपुर)

1. मोहनराम पुत्र रामुराम
2. तुलछाराम पुत्र रामुराम
3. खीयाराम पुत्र रामुराम
   जाति जाट, निवासी ग्राम पल्ली, तहसील लोहावट, जिला जोधपुर
4. रूपादेवी पुत्री रामुराम पत्नी प्रतापराम
   जाति जाट, निवासी जाटावास, तह0 लोहावट जिला जोधपुर
5. हीरादेवी पुत्री रामुराम पत्नी मोहनराम
   जाति जाट, निवासी जाटावास, तहसील लोहावट, जिला जोधपुर
6. लाला देवी पुत्री रामुराम पत्नी भैराराम जाखड़, जाति जाट, निवासी छिला, जाखडों की ढाणी, तह0 लोहावट, जिला जोधपुर
7. चुन्नी देवी पुत्री रामुराम पत्नी रघुराथ साई, जाति जाट, निवासी हनुमान सागर, भेड, तह0 ओसिया, जोधपुर
8. बन्नाराम पुत्र पुरखाराम
9. कुनणाराम पुत्र पुरखाराम
10. पपुराम पुत्र रामुराम
    जाति जाट निवासी ग्राम पल्ली, तहसील लोहावट, जिला जोधपुर
11. सोहनी देवी पुत्री पुरखाराम जाट, निवासी ग्राम गंगाडी, तह0 तिंवरी जिला जोधपुर
12. अमानी पत्नी पुरखाराम जाट, निवासी ग्राम पल्ली तह0 लोहावट जिला जोधपुर
13. ग्राम पंचायत पल्ली, पं0सं0 लोहावट जिला जोधपुर जरिये सरपंच

अपील अन्तर्गत धारा 76 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 विरूद्ध आदेश उपखण्ड अधिकारी लोहावट दिनांक 02.02.2023 म्यूटेशन प्रथम अपील संख्या 11/2020 अनवान मोहनराम व अन्य बनाम मूलाराम वगैरा

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जोधपुर

उपस्थित–

1. श्री राजेन्द्र जाखड, वकील अपीलाण्ट
2. श्री रूघाराम चौधरी वकील रेस्पोडेन्ट सं0 3
3. रेस्पो0 संख्या 1, 2 एवं 4 से 13 अनुपस्थित

निर्णय

दिनांक 05 .06.2024

यह अपील राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 76 के अन्तर्गत अपीलाण्ट्स ने उपखण्ड अधिकारी लोहावट द्वारा नामान्तरकरण अपील संख्या 11/2020 मोहनराम व अन्य बनाम मूलाराम वगैरा में पारित आदेश दिनांक 02.02.2023 के विरूद्ध प्रस्तुत की है।

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि आलौच्य अपील में रेस्पो0सं0 1 से 7 मोहनराम इत्यादि ने प्रथम अपीलीय न्यायालय उपखण्ड अधिकारी लोहावट के समक्ष राज0 भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 75 के तहत एक अपील म्युटेशन संख्या 386 दिनांक 23 मई 1974 के खिलाफ प्रस्तुत की, जो अपील संख्या 11/2020 प्रथम अपीलीय न्यायालय द्वारा जरिये अपीलाधीन निर्णय दिनांक 02 फरवरी 2023 को स्वीकार कर म्युटेशन संख्या 386 दिनांक 23 मई 1974 खारिज कर दिया गया और तहसीलदार लोहावट को उक्त म्युटेशन संख्या 386 के पूर्व की स्थिति में राजस्व रेकर्ड में कायम कर पुरखाराम के (हिस्से की भूमि में पुरखाराम के वारिसान के नाम तथा उदाराम के) हिस्से की भूमि में उदाराम के वारिसान के नाम नवीन म्युटेशन स्वीकार कर राजस्व रिकार्ड में अमल–दरामद किये जाने के निर्देश दिये। जिससे व्यथित होकर अपीलाण्ट्स द्वारा आलौच्य अपील प्रस्तुत की गयी है।

बहस सुनी गयी। अधिवक्ता–अपीलाण्ट्स ने जाहिर किया कि ग्राम पल्ली स्थित आराजी खसरा संख्या 493 रकबा 73 बीघा 04 बिस्वा, खसरा संख्या 440 रकबा 7 बीघा 05 बिस्वा, खसरा संख्या 681 रकबा 132 बीघा 13 बिस्वा खसरा संख्या 835 रकबा 367 बीघा 17 बिस्वा, खसरा संख्या 704 रकबा 119 बीघा 01 बिस्वा, खसरा संख्या 834 रकबा 14 बिस्वा कुल रकबा 700 बीघा 13 बिस्वा के संबंध में स्वीकृत म्युटेशन संख्या 386 दिनांक 23 मई 1974 के खिलाफ रेस्पो0

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जोधपुर

संख्या 1 से 7 की ओर से प्रथम अपीलीय न्यायालय के समक्ष राज0 भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 75 के तहत प्रथम अपील लगभग 45 वर्षो के बाद अत्याधिक विलम्ब से पेश की गयी, जबकि उक्त म्युटेशन बाबत रेस्पो0सं0 1 से 7 को उक्त अपील प्रस्तुत करने के काफी समय पूर्व से ही भलीभांति जानकारी थी। वादग्रस्त आराजियात के सहखातेदार उदाराम का वर्तमान अपील में अपीलाण्ट मूलाराम गोदपुत्र है और इसी आधार पर वादग्रस्त आराजियात बाबत उक्त म्युटेशन संख्या 386 मूलाराम के पक्ष में स्वीकृत किया गया था। वादग्रस्त आराजियात बाबत न्यायालय सहायक कलेक्टर ओसियां के समक्ष एक वाद संख्या 96/2008 बनाराम बनाम तेजाराम राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 88, 53 एवं 188 के तहत प्रस्तुत हुआ जिसमें वर्तमान अपील के रेस्पो0सं0 1 से 7 के पिता रामूराम व अन्य सहखातेदारान के मध्य हुए राजीनामा के आधार पर दिनांक 30 अगस्त 2010 को उक्त वाद निस्तारित किया गया, जिसके खिलाफ आदिनांक तक कोई चाराजोई नहीं की गयी है। इसके अलावा वादग्रस्त आराजियात बाबत न्यायालय सहायक कलेक्टर फलोदी एवं न्यायालय सहायक कलेक्टर लोहावट के समक्ष रेस्पो0सं0 8 बन्नाराम द्वारा तरमीम–शुद्धि हेतु दो अलग–अलग प्रार्थनापत्र प्रस्तुत किये गये, जिनमें भी अपीलाण्ट मूलाराम का हक–हिस्सा उदाराम के वारिस के तौर पर माना गया है। इन परिस्थितियों में यह स्वतः सिद्ध हो जाता है कि उक्त म्युटेशन बाबत रेस्पो0 संख्या 1 से 7 आदि को भलीभांति जानकारी रही है। अधिवक्ता–अपीलाण्ट्स ने यह भी जाहिर किया कि रेस्पो0सं0 1 से 7 के पिता रामूराम ने अपने जीवनकाल में वादग्रस्त आराजियात के बंटवारे बाबत जाहिर की गयी, सहमति से रेस्पो0सं0 1 से 7 भी आबद्ध है। वादग्रस्त आराजियात के सहखातेदार उदाराम द्वारा अपीलाण्ट मूलाराम को अपने जीवनकाल में विधिवत दत्तक ग्रहण किया गया और गांव के प्रतिष्ठित व्यक्तियों की उपस्थिति में विधिवत स्टाम्प पेपर पर गोदनामा भी निष्पादित किया गया। दत्तक ग्रहण के संबंध में किसी प्रकार का विनिश्चयन करने का क्षेत्राधिकार राजस्व न्यायालय को उपलब्ध नहीं है। वादग्रस्त आराजियात बाबत पंजीबद्ध बंटवारे के आधार पर आदिनांक तक अपीलाण्ट्स के हक–हकूक एवं कब्जा चला आ रहा है, उक्त पंजीबद्ध बंटवारा को आदिनांक तक किसी सक्षम न्यायालय

अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त
जोधपुर

में चुनौती नहीं दी गयी है। इन परिस्थितियों में प्रथम अपीलीय न्यायालय में करीब 45 साल के अत्याधिक विलम्ब से प्रस्तुत अपील मियाद के बिन्दु पर ही खारिज किये जाने योग्य होते हुए भी अपीलाधीन निर्णय के जरिये स्वीकार किये जाने में गम्भीक विधिक एवं तथ्यात्मक भूल की गयी है। इतना ही नहीं, अपीलाधीन निर्णय पारित करते हुए वादग्रस्त आराजियात बाबत प्रथम अपीलीय न्यायालय द्वारा बिना किसी आधार एवं अधिकार के पक्षकारान के हिस्से भी निर्दिष्ट किये गये है जो विधिसम्मतः नहीं है। अंत में अधिवक्ता–अपीलाण्ट्स ने 2010 WLC (Rajasthan) 01, 2024 INSC (SCC) 286, 2013(1) DNJ 262, 2022(2) CNJ (Rev) 1556[2014(1) RRT 248, 2009(1) RRT 488 की ओर न्यायालय का ध्यान आकर्षित कर अपील अपीलाण्ट्स स्वीकार की जाकर वांछित अनुतोष प्रदान किये जाने का निवेदन किया।

जबाब में अधिवक्ता–रेस्पो0सं0 1 से 7 ने लिखित बहस प्रस्तुत कर जाहिर किया कि वादग्रस्त आराजियात बाबत दिनांक 23 मई 1974 को स्वीकृत म्युटेशन संख्या 386 विधिसम्मतः नहीं होने के कारण अपीलाधीन निर्णय के जरिये उक्त म्युटेशन को खारिज करने में किसी प्रकार की कोई त्रुटि अथवा अनियमितता नहीं की गयी है। स्वयं अपीलाण्ट मूलाराम वादग्रस्त आराजियात में उदाराम का दत्तकपुत्र होने के आधार पर अपने हक–हकूक होना एवं तदनुसार म्युटेशन स्वीकृत किया जाना जाहिर करता है किन्तु स्वयं अपीलाण्ट मूलाराम के अनुसार उदाराम द्वारा उसे दिनांक 18 जुलाई 1977 को दत्तक ग्रहण किया गया था। इसका तात्पर्य यह हुआ कि उदाराम दिनांक 18 जुलाई 1977 तक जीवित था, ऐसी स्थिति में उक्त दिनांक से पूर्व दिनांक 23 मई 1974 को उदाराम की फौतेदगी के आधार पर अपीलाण्ट मूलाराम के पक्ष में स्वीकृत म्युटेशन संख्या 386 विधिक प्रावधानों के विपरीत होने से स्वतः ही खारिज होने योग्य है। अधिवक्ता–रेस्पो. ने यह भी जाहिर किया कि न्यायालय सहायक कलेक्टर ओसियां के समक्ष राजस्व वाद संख्या 96/2008 बनाराम बनाम तेजाराम आदि में अपीलाण्ट मूलाराम आदि की ओर से दिनांक 31 अगस्त 2009 को प्रस्तुत जबाबदावा के पद संख्या तीन में "... नामान्तरकरा संख्या 386 मात्र पुरखाराम के फौते होने के परिणामस्वरूप भरा गया था .... भरे

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जोधपुर

जाने के बाद इन नामों का अंकन किया गया ... कालम संख्या 11 में पुरखाराम के फौते होने के परिणामस्वरूप पहले प्रविष्टि की गई थी, तत्पश्चात कांट–छांट कर मूलाराम पुत्र उदाराम दर्ज किया गया" अंकित किया गया है अर्थात अपीलाण्ट मूलाराम स्वयं उक्त वाद की कार्यवाही में प्रस्तुत अपने जबाबदावे में म्युटेशन संख्या 386 गलत होना बता रहा है। अधिवक्ता–रेस्पो. ने अपनी लिखित बहस में यह भी जाहिर किया कि अपीलाण्ट्स द्वारा उल्लेखित बंटवारा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 के प्रावधानों के अनुसार नहीं है, अतः उस पर विश्वास नहीं किया जा सकता है। अपीलाण्ट मूलाराम के पक्ष में कोई गोदनामा पंजीबद्ध नहीं है और न ही मूलाराम द्वारा सक्षम न्यायालय से स्वयं को उदाराम का दत्तक पुत्र घोषित करवाया गया है। अंत में अधिवक्ता–रेस्पो0 ने अपीलाधीन निर्णय का समर्थन करते हुए अपील अपीलाण्ट्स खारिज किये जाने का निवेदन किया।

बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख एवं प्रस्तुत नजीरों का गम्भीरतापूर्वक अध्ययन किया गया। आलौच्य मामले में दिनांक 23 मई 1974 को स्वीकृत म्युटेशन संख्या 386 के खिलाफ राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 75 के तहत प्रथम अपील दिनांक 19 सितम्बर 2019 को प्रस्तुत की गयी, जबकि उक्त अपील पेश किये जाने के पूर्व वादग्रस्त आराजियात बाबत न्यायालय सहायक कलेक्टर ओसियां के समक्ष एक राजस्व वाद संख्या 96/2008 बनाराम बनाम तेजाराम राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 88, 53 एवं 188 के तहत प्रस्तुत होना तथा वर्तमान अपील के रेस्पो0सं0 1 से 7 के पिता रामूराम व अन्य सहखातेदारान के मध्य हुए राजीनामा के आधार पर दिनांक 30 अगस्त 2010 को उक्त वाद निस्तारित किया जाना, और उक्त निर्णय दिनांक 30 अगस्त 2010 के खिलाफ आदिनांक तक कोई चाराजोई नहीं किया जाना उपलब्ध अभिलेख से प्रकट होता है। इसके अलावा वादग्रस्त आराजियात बाबत न्यायालय सहायक कलेक्टर फलोदी एवं न्यायालय सहायक कलेक्टर लोहावट के समक्ष रेस्पो0 सं0 8 बन्नाराम द्वारा तरमीम–शुद्धि हेतु प्रस्तुत दो अलग–अलग प्रार्थनापत्र में भी अपीलाण्ट मूलाराम का हक–हिस्सा उदाराम के वारिस के तौर पर उललेखित किया

अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त
जोधपुर

जाना भी प्रकट है। इन परिस्थितियों में जाहिर है कि उक्त म्युटेशन संख्या 386 बाबत रेस्पो. संख्या 1 से 7 आदि को प्रथम अपील प्रस्तुत करने के काफी समय पूर्व से भलीभांति जानकारी रही है। इसके उपरान्त भी प्रथम अपीलीय न्यायालय द्वारा मियाद के संबंध में समुचित विवेचन एवं विवेचन कर मियाद–प्रार्थना पत्र बाबत विधिवत आदेश पारित किये बिना ही उक्त अपील मियाद–बाधित नहीं मानते हुए अपीलाधीन निर्णय पारित किया गया है, जबकि 2014; 1) RRT 248 में धारित मतानुसार मियाद–प्रार्थनापत्र बाबत विधिवत निस्तारण किये जाने के उपरान्त ही गुणावगुण पर कोई निर्णय किया जा सकता है। रेस्पो. संख्या 1 से 7 की ओर से प्रस्तुत प्रथम अपील को मियादशुमार किये जाने हेतु प्रस्तुत प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 5 भारतीय समय सीमा अधिनियम में म्युटेशन संख्या 386 बाबत सर्वप्रथम जानकारी होने का कोई निश्चित समय बिन्दु नहीं दर्शाया गया है और न ही सर्वप्रथम जानकारी होने से प्रथम अपील प्रस्तुत किये जाने तक की समयावधि के विलम्ब का कोई संतोषजनक एवं विश्वसनीय कारण उल्लेखित किया गया है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा 2024 INSC (SCC) 286 के मामले में विलम्ब कण्डोन किये जाने के लिए समुचित आधार होना अनिवार्य धारित किया गया है। इसी प्रकार 2022(2) CNJ (Rev) 1556 ,oa [, 2009(1) RRT 488 के प्रकरणों में भी माननीय राजस्व मण्डल द्वारा समुचित एवं संतोषप्रद कारणों के अभाव में विलम्ब कण्डोन किया जाना न्यायोचित नहीं माना है।

इसके अलावा अपीलाधीन निर्णय में पक्षकारान ;उदाराम एवं उसके वारिसान तथा पुरखाराम व उसके वारिसान के हिस्से भी विनिर्दिष्ट किये गये है, जबकि 2013(1) DNJ 262 में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा प्रतिपादित किया गया है कि म्युटेशन संबंधित कार्यवाही मात्र एक फिस्कल कार्यवाही है जिसके जरिये पक्षकारान के हक–हकूकों का विनिश्चियन नहीं किया जा सकता है।

यह भी उल्लेखनीय है कि गोदनामा पंजीबद्ध होना अनिवार्य नहीं है और गोदनामा की वैधता के संबंध में किसी प्रकार का विनिश्चयन करने का राजस्व न्यायालय को क्षेत्राधिकार उपलब्ध नहीं है।

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जोधपुर

इस प्रकार इस मामले के सभी तथ्यों एवं परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए किये गये समस्त विवेचन एवं विश्लेषण तथा प्रस्तुत नजीरों के परिप्रेक्ष्य में अदालत हाजा की राय में प्रथम अपीलीय न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय दिनांक 02 फरवरी 2023 न्यायोचित एवं विधिसम्मतः नहीं पाया जाता है। अतः अपील अपीलाण्ट्स स्वीकार की जाती है और प्रथम अपीलीय न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय दिनांक 02 फरवरी 2023 खारिज किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 05 जून, 2024 को खुले न्यायालय सुनाया गया।

05/06/24

(अजीत सिंह राजावत)
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जोधपुर